

न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :- रवि जैन

आई.ए.एस.

अपील संख्या 16/2019

बरजी देवी पत्नी स्व. बजरंगलाल जाति कुम्हार निवासी कसेरु उपतहसील मुकन्दगढ़ जिला
झुंझुनू।

— अपीलान्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ तहसील नवलगढ़ जिला झुंझुनू।

— रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ आदेश दिनांक 11.12.2014 उनवानी सरकार
बनाम बरजी देवी मु0न0 14/2014 अ0धारा 91 राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित:-

1. श्री राजकुमार सैनी -एडवोकेट- अपीलान्त की ओर से।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी - राजकीय अभिभाषक रेस्पोजेन्ट की ओर से।

आदेश

दिनांक 30.10.2019

पत्रावली पेश हुई। उक्त विषयक अपील विद्वान नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ के निर्णय दिनांक 11.12.2014 के विरुद्ध मय प्रार्थना पत्र दफा 5 मि.अ. व स्थगन के प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मिअ0 पर बहस सुनी गई। अपील का निर्णय गुणवगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रा0प0 दफा 5 मि0अ0 स्वीकार किया जाता है। अपील के तथ्य निम्न प्रकार से है:- अपीलान्त के पति को ग्राम पंचायत कसेरु द्वारा दिनांक 27.01.1985 को आबादी विस्तार हेतु 150 वर्गमीटर का पट्टा ग्राम पंचायत कसेरु द्वारा जारी किया गया था। अपीलान्त अपने पट्टे शुदा जमीन पर मकान बनाकर काबिज है। अपीलान्त का पट्टे शुदा भूमि के अलावा अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का कसेरु से जांच करवाई कि उक्त पट्टा विवादित भूमि का है या नहीं जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत की जिसमें पटवारी हल्का ने पट्टा विवादित भूमि का ही माना है। पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में भूमि कानूनी की है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जब तक ग्राम पंचायत के द्वारा जारी पट्टो को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करके निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक अपीलान्त को पट्टे शुदा भूमि से बेदखल नहीं किया जा सकता है। अपीलान्त ने


जिला कलक्टर झुंझुनू

अपने मकानों में बिजली, पानी का कनेक्शन ले रखा है और लगभग 40 वर्षों से पक्के मकान बनाकर परिवार सहित आबाद है। अपीलान्त के विरुद्ध एक पक्षीय निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त को सुनवाई, साक्ष्य सबूत पेश करने का कोई अवसर नहीं दिया गया है, जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्धान्त है कि निर्णय पारित करने से पूर्व पीड़ित पक्ष को सुना जाकर ही निर्णय पारित किया जावे। अतः अपील अपीलान्त पेशकर निवेदन है कि अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर निर्णय अदालत मातहत नायब तहसीलदार मुकन्दगढ़ दिनांक 11.12.2014 को निरस्त किया जाने का आदेश फरमया जावे।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्त ने बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यों की पुनरावर्ती करते हुए निवेदन किया कि अपीलान्त के पति को ग्राम पंचायत कसेरु द्वारा दिनांक 27.01.1985 को आबादी विस्तार हेतु 150 वर्गमीटर का पट्टा ग्राम पंचायत कसेरु द्वारा जारी किया गया था। अपीलान्त अपने पट्टे शुदा जमीन पर मकान बनाकर काबिज है। अपीलान्त का पट्टे शुदा भूमि के अलावा अन्य कोई अतिक्रमण नहीं है। अदालत मातहत ने पटवारी हल्का कसेरु से जांच करवाई कि उक्त पट्टा विवादित भूमि का है या नहीं जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 10.12.2014 को प्रस्तुत की जिसमें पटवारी हल्का ने पट्टा विवादित भूमि का ही माना है। पटवारी हल्का की स्पष्ट रिपोर्ट के बाद भी अदालत मातहत ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर गौर नहीं कर निर्णय पारित करने में भूमि कानूनी की है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर जाकर मातहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 11.12.2014 को खारिज फरमाया जावे।

विद्वान राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने बहस के दौरान तर्क प्रस्तुत किया कि अतिक्रमण की गई भूमि की किस्म गैर मुमकिन जोहड़ है जो राजकीय भूमि है, जिस पर अपीलान्त ने पक्का निर्माण कर अतिक्रमण कर रखा है। जिसका अपीलान्त को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। अदालत मातहत द्वारा मौका रिपोर्ट पटवारी हल्का की जांच कर अतिक्रमण हटाने के आदेश दिये हैं। जो विधिसम्मत है जिसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं है। अदालत मातहत द्वारा पूर्ण दस्तावेजों के अवलोकन के उपरांत ही निर्णय पारित किया गया है। अपीलान्त की अपील में कोई फोर्स नहीं है। अपीलान्त्स की अपील खारिज फरमाई जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकील पक्षकारान पर बगौर मनन किया अदालत मातहत ने अपीलान्त को ग्राम कसेरु स्थित भूमि खसरा नम्बर 903/443 कुल रकबा 7.53 हैक्टर किस्म गैर मुमकीन जोहड़ में 0.05 हैक्टर का अतिक्रमी माना है। अपीलान्त का कथन है कि अपीलान्त अपनी पट्टे शुदा भूमि पर काबिज है तथा अदालत मातहत द्वारा अपीलान्त को साक्ष्य, सुनवाई का सम्पूर्ण अवसर प्रदान नहीं किया है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार की जाकर अदालत मातहत द्वारा पारित निर्णय दिनांक 11.12.2014 खारिज किया जाता है तथा निर्णय प्रति इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि अदालत मातहत अपीलान्त द्वारा प्रस्तुत पट्टे की पुनः जांच करते हुये अपीलान्त को सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान कर विधि सम्मत् निर्णय पारित करें। अपील स्वीकार होने की स्थिति में स्थगन प्रार्थना पत्र की बाबत अलग से आदेश पारित करने की आवश्यकता नहीं है। रिकार्ड अदालत मातहत निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटाया जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर पंजिका से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रवि जैन)

जिला कलेक्टर, झुंझुनू
जिला कलेक्टर झुंझुनू